न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: सी0 एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 98/2017
प्रविष्टि दिनांक – 04.05.2017

उनवान

लादुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
–आवेदक

बनाम

तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित– श्री सेतराम चौधरी–वकील आवेदक

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 30.10.2018

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 1552,1359,1368,1372,1512,1513,1514,1188,1192,1197,1198,1199,1392,1506,1507,1508, 1531 वाके ग्राम निमोला तहसील टोंक मे स्थित है। जिसमें आवेदक का 1/2 हिस्सा है तथा उक्त हिस्से में आवेदक का नाम लादया पुत्र कल्याण दर्ज है। आवेदक का वास्तविक नाम लादया पुत्र कल्याण ना होकर लादु लाल पुत्र रामचन्द्र है तथा आवेदक की पहचान के सभी दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदान पहचान पत्र इज्यादि लादूलाल पुत्र रामचन्द्र के नाम से ही बने हुये है। आवेदक को उक्त त्रुटि की जानकारी सम्वत 2071 की रबी की फसल में खराब होने से आई मुआवजा राशि लेने जाने पर हुआ। अगर उक्त त्रुटि को शुद्ध नहीं किया गया तो भविष्य में आवेदक को काफी परेशानी होगी क्योंकि आवेदक के मरने के पश्चात उसका मृत्यु प्रमाण–पत्र लादू पुत्र रामचन्द्र के नाम से बनेगा तथा रिकार्ड में आवेदक का नाम लादया पुत्र कल्याण दर्ज है, जिससे उसकी खातेदारी का नामांतकरण खुलने में उसके वारिसों का काफी परेशानी का सामना करना पडेगा, जिससे अभी ही आवेदन के लिए उक्त त्रुटि को ठीक करवाना जरूरी है तथा उसको ठीक किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता आवेदक ने जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम निमोला खाता संख्या–281, 282, 163, 343, 289 की छांयाप्रति आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड की छांयाप्रतियां प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। लोक अदालत केम्प दिनांक 01.06.2018 में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहन्दवास एंव पटवारी हल्का निमोला की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिसके अनुसार वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता है कि यह अशुद्धि कहां हुई है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम निमोला खाता संख्या–281, 282, 163, 343, 289 मे आवेदक का नाम अलग–अलग अंकित है जैसे लादया, लादिया, लादु जिसका आवेक रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध आधारकार्ड, वोटर आईडी मे आवेदक का नाम लादु पुत्र रामचन्द्र अंकित हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड प्रमाणित प्रतियों में पेश नहीं किया गया ओर ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे यह स्पष्ट हो सके की आवेदक का नाम किस रिकार्ड में सही से गलत अंकित हो गया है। इस प्रकार आवेदक अपने आवेदन पत्र पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने में सफल नहीं हुआ है। इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र दस्तावेजात के अभाव में भारहीन हो गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 दस्तावेजात के अभाव में भारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज **दिनांक 30 अक्टूबर, 2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner